

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त सचिव (सूचना अधिकारी),
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
न्यू दिल्ली।

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना देने बारे।

1. नाम:- एडवोकेट मनोज कुमार,
2. पता:- चैम्बर नं0 178 प्रथम मंजिल बी ब्लॉक डिस्टीक कोर्ट जगाधरी तहसील जगाधरी जिला यमुना नगर (हरियाणा)।
3. मांगी गई सूचना का विवरण:-

1. यह कि सड़क के किनारे जो कच्चा बरम होता है। उसकी मलकियत किसके नाम पर होती है और कच्चा बरम सड़क का हिस्सा होता है या नहीं। नियमानुसार सड़क के साथ कच्चा बरम बनाना अनिवार्य होता है या नहीं। यदि होता है, तो उसकी चौड़ाई निर्धारित करने के क्या मापदंड हैं।

4. सूचना प्राप्ति:- वजरिया डाक

5. फीस अदायगी INDIAN POSTAL ORDER
Rs.50, No.926-607019.


आवेदक

एडवोकेट मनोज सैनी,

चैम्बर नम्बर-178 बी ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर,

डिस्टीक कोर्ट जगाधरी, जिला यमुनानगर,

मोबाइल नम्बर-9813327001

O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 1245656/2017/CR
Date: 8-9-2017

दिनांक:-24-8-2017

100 मूल वर

819
8/11/17

Sh-A-m

Cham
11/09/17



फ.स.आई-1-34014/205/2017-आरटीआई

भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

दिनांक- 13.09.2017
15

सेवा में,

श्री मनोज सैनी

चेम्बर न- 178, बी ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जगाधरी, जिला यमुनानगर

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री मनोज सैनी से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 24.08.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनांक 08.09.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबंध में है।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 50 रु0 का IPO 92G 607019 इसके साथ वापस किया जा रहे हैं।

भवदीय

अनुभाग अधिकारी

घनश्याम मीना

अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

उपरोक्त लिखित शर्तों का भारतीय पोस्टल आर्डर नं० 42F 418422
आपको इसी पत्र की कपी के साथ भेजा जा रहा है।

मनोज सैनी
अधिकारी

पञ्चाश टिका पञ्चाश टिका पचास रुपिया 50.00 ரூபாய் 50.00 ரூபாய் پنجاه रुपये 50.00 ரூபாய் पचास रुपये पञ्चाशत् रूप्यकाणि

अपाक्रान्त
NOT NEGOTIABLE



डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

**भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER**

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Joint Secretary
ROAD TRANSPORT & NATIONAL
को
पचास रुपए की रकम THE SUM OF FIFTY RUPEES ONLY
NEW DELHI

₹ 50

AT THE POST OFFICE AT
NEW DELHI

के डाकघर में अदा करें।



कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

MANOJ SAINI Adwoca
CH. No. 178/B 1st floor
Jogadhn

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

वैधता - जारी करने के दिने के अंतिम दिन से 24 महीने और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ध्यान में नही करने के दिने के अंतिम दिन से 36 महीने
Validity - 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.
इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

92G 607019

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

5291

Dated 13/10/12

Receipt No.

Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. शायर शा.....

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten

only) / Fee of Rs. (Rupees).....

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. 42 F 418422.....

Dated



Signature / Receipt Official (IFC)